राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

क्रमांक : एफ.6(33) परीक्षा 'क'/प्राध्यापक/(संस्कृत शिक्षा)/2016–2017/2875 दिनांक : 07.01.2021

प्राध्यापक–(संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2018 के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु विचारित सूचियाँ दिनांक 26.11.2020 को (कुल विषय–06) जारी कर दी गई हैं। उक्त सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउन्सलिंग के माध्यम से की जावेगी। पात्रता जांच उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का अन्तिम परिणाम जारी किया जावेगा। आयोग द्वारा कांउसलिंग दिनांक 18.01.2021 से 25.01.2021 तक कांउसलिंग स्थल–राजस्थान लोक सेवा आयोग परिसर अजमेर में आयोजित की जा रही है। काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी दिनांक 11.01.2021 से डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों मय स्वप्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि में स्वयं व्यक्तिशः काउन्सलिंग हेतु उपस्थित होवें। अभ्यर्थियों को विषयवार दिनांक पर काउन्सलिंग हेतु जारी कार्यक्रमानुसार काउंसलिंग स्थल पर स्वयं उपस्थित होना है।

काउंसलिंग का कार्यक्रम विषयवार/दिनांकवार निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	विषय	काउन्सलिंग की दिनांक	कुल अभ्यर्थियों की संख्या
1	हिन्दी	18.01.2021	105
2	इतिहास		15
3	अंग्रेजी	19.01.2021	110
4	व्याकरण	21.01.2021	117
5	सामान्य व्याकरण	22.01.2021	128
6	साहित्य	25.01.2021	121

इस हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाईन पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा अपलोड किये गये 02 पात्रता प्रपत्रों व काउन्सलिंग–पत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा–निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को कोविड-19 महामारी के संबंध में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों (Guideline) की पूर्णतः पालना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को मास्क पहन कर आना अनिवार्य है, साथ ही कारंसलिंग पत्र दिखाने एवं थर्मल स्केनिंग के बाद ही काउंसलिंग परिसर में प्रवेश दिया जावेगा।

काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होवें अन्यथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउन्सलिंग से वंचित कर दिया जायेगा, इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। काउंसलिंग मे अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम हेतु विचारित योग्य नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। **काउन्सलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।**

(शुभम् चौधरी)
सचिव